न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

प्रार्थना प0ः—127/2023/39 (2) (ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908(2023/127)

1. किशन सिंह पुत्र अभय सिंह जाति राजपूत, निवासी धान्धों का खेडा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र समरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोलखुर्द तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः— 08.10.2025

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 76/2023 बलवीर सिंह बनाम किशन सिंह राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा वाद संख्या 133/2022 बउनवान किशनसिंह बनाम बलवीरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस/प्रार्थना पत्र में कथन किया कि न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा निर्णित वाद संख्या 135/2022 बउनवानी किशनसिंह बनाम बलवीर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर

अप्रार्थी को कानूनन बेदखल करने का आदेश प्रदान किया था एवं उपरोक्त आदेश की पालना भी दिनांक 10.02.2023 को मय पुलिस जाप्ता के प्रार्थी को कब्जा संभला दिया गया था। जिस बाबत प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.02.2023 को मौका पर्चा की प्रति भी प्रस्तुत की थी जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर विवादित आराजी मुतनाजा के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिनांक 29.03.2023 को पारित कर दिए थे, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा गैर कानूनी रूप से मौके पर जाकर पाल मुर्तिब करने का गैर कानूनी प्रयास किया गया जो कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की खुली रूप से अवहेलना करते हुए मौके पर आकर प्रार्थी की भूमि में जे0सी0बी0 से पाल डालने का असफल प्रयास किया जा रहा है जिसके फोटोग्राफ प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ऐलानिया धमकी देता है कि कोर्ट के आदेश की मैं कोई परवाह नहीं करता हूं और मैं उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रहूंगा जबकि न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना किए जाने से कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। यदि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का यही क्रम चलता रहा, तो आमजन में भी न्यायालय के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना कारित करने बाबत अप्रार्थीगण कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 बाहुबली व्यक्ति है जो येन, केन, प्रकारेण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 29.03.2023 की अवमानना कारित करने की कठोर सजा से दण्डित फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि न्यायालय द्वारा किए गए आदेश दिनांक 29.03.2023 की अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहे गए कथन झूठे है उनको सत्यापित करने के लिए प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो की न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। सभी खातेदार का"तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज का"त है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 29.03.2023 को पारित

किए जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 की क्रियान्विति को आगामी पेशी तक स्थगित किया जाकर निर्णय में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश पारित किए गए। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की पालना अप्रार्थी द्वारा नहीं किए जाने से प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन व न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से अवहेलना की गई है। हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर तहसीलदार, भिनाय को स्थगन तहरीर भी जारी की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, भिनाय के समक्ष किस प्रकार की सक्षम कार्यवाही की गई इस संबंध में प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट में कहे गए कथन से व प्रस्तुत दस्तावेजात से किसी भी प्रकार यह दृष्टिगत नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की गई हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत परिवर्तन कर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.2023 की अवहेलना की गई हो। अतः प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन मौखिक है जिसमें किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर